



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र संख्या— ४८ी/यू.पी./०६/०१/२०१७/एफ.सी. / ५५५

दिनांक: २०-३-२०१७

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
वन अनुभाग, ६वां तल,
बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय: जनपद हरदोई में शाहजहाँपुर-हरदोई मार्ग (एस०एच०-२५) किमी० १३५-१३६ के मध्य बांयी पटरी पर स्थित ग्राम-सैदपुर, तहसील-शाहबाद के खसरा संख्या- २०० में एस्सार ऑयल लिंग द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु ०.०६५३४८ हेतु संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित ०८ वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक— ३८९/१४-२-२०१७-८०० (१८३)/२०१६, दिनांक— ०८.०३.२०१७

महोदय,

उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक— पी-१८५/१४-२-२०१६-८०० (१८३)/२०१६, दिनांक— ३०.१२.१६ का आशय ग्रहण करने ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम १९८० की धारा (२) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मौगी थी।

प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक-१२.०१.२०१७ द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना आख्या विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद हरदोई में शाहजहाँपुर-हरदोई मार्ग (एस०एच०-२५) किमी० १३५-१३६ के मध्य बांयी पटरी पर स्थित ग्राम-सैदपुर, तहसील-शाहबाद के खसरा संख्या- २०० में एस्सार ऑयल लिंग द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु ०.०६५३४८ हेतु संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित ०८ वृक्षों के पातन की सैद्वान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैं:-

१. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित १०० वृक्षों का वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
२. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) २०२/१९९५ के अन्तर्गत आई०र० संख्या ५६६ एवं भारत सरकार के पत्र संख्या ५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।
- (ख) इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
- (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

३१/३/१७

3. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward)एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पैट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के बीच की (232.32 वर्गमीटर) भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जाएगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊँची दीवाल बनाकर किया जाएगा।
5. राज्य सरकार वनाधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र की Original Hard Copy प्रस्तुत करेगी।
6. राज्य सरकार कॉलम 14 पार्ट—।। ऑनलाईन में District Profile का Correct Data Upload करना सुनिश्चित करेगी।
7. राज्य सरकार ऑनलाईन पार्ट—।। के कॉलम—4 में वृक्षों की Detail upload करेगी, जैसा Hard Copy में List दी गयी है।
8. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।


उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र-II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक— 02फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीय,


 (बृजेन्द्र स्वरूप)
 वन संरक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली—110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू०) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली—110003.
3. मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0 प्र0।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, हरदोई, उ0 प्र0।
5. डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि�0, विशालखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
6. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली ।


 (बृजेन्द्र स्वरूप)
 वन संरक्षक [केन्द्रीय]